

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजगहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 9 (4) व.घो.71/23-24/ईएलएएस/सान्याअवि/2023/6830

जयपुर, दिनांक: 08-09-23

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 71 (2)/2023-24 की अनुपालना में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162300653 दिनांक 20.04.23 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में आर्थिक कमजोर वर्ग विकास कोष के अन्तर्गत आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023-24 से संचालित की जाती है।

उक्त योजना का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PMS ERC) जो कि वर्ष 2022-23 से पीएम यशस्वी योजनान्तर्गत नवीन प्रावधानों के अनुसार संचालित है, के अनुरूप किया जायेगा।

उक्त योजनान्तर्गत निम्न प्रावधान किये जाते हैं :-

1. आय सीमा - विद्यार्थी के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 तक हो।
2. वर्ग - विद्यार्थी आर्थिक कमजोर वर्ग (सामान्य वर्ग) का सदस्य हो।
3. विद्यार्थी को दी जाने वाली राशि :-

समूह	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक भत्ता	शुल्क	कुल देय राशि (वार्षिक)
1	एम्स, आईआईटी, एमबीबीएस, एलएलएम इत्यादि	10000	10000	20000
2	बी.फार्मा, एलएलबी, बीएड आदि	8000	5000	13000
3	बीए, बीएससी, बी.कॉम आदि	6000	2000	8000
4	आईटीआई, पॉलिटेक्निक इत्यादि	5000	5000	10000

Digitally signed by Manoj Lal Guite
Designation: Director
Date: 2023.09.15 11:55:12 IST
Reason: Approved



NB/NB
chetan is/Chetan is
Praven is for necessary
action.

(Signature)
15-9-23

4. **सामयिक वर्ग** : भारत सरकार के सामयिक स्तर और अधिकारिता के अन्तर्गत भारत में प्रशस्ती योजनाओं के अन्तर्गत आयोजित होने वाले अतिरिक्त आर्थिक शिक्षा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति से वंचित रहे विद्यार्थियों को इस योजना के माध्यम से पहले आशु पहले वाले FIPQI के अन्तर्गत अधिकतम प्रथम 30000 विद्यार्थियों को सामयिक किया जाएगा।
5. **व्यवस्थापन** : डॉ. अशोक आर्थिक शिक्षा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत 2235-02-196-(22)-[06]-13 के अन्तर्गत एवं एनईए (एनईए) से छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाएगा।
6. **यह योजना का विचार-विकास विभाग द्वारा जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति मानक संशोधन संकेत-2023 के अन्तर्गत ही किया जाएगा।**
- वित्त विभाग के आईडी क्रमांक 162301709 दिनांक 14.08.2023 के द्वारा

(एच. गुड्डे)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Hatanlal Guite
Designation: Director
Date: 2023.08.17 17:55:12 IST
Reason: Approved

क्रमांक: एफ 9 (4) व.पो. 71/23-24/सहकर्मचारी/साप्ताहिक/2023/6831-40 जयपुर, दिनांक: 08-09-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिजी सचिव, प्रमुख शारदा सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
7. जिजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलक्टर
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
10. जिजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक (पि.जा.), मुख्यावास।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), आई.टी., मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर वांछित प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. संयुक्त निदेशक (योजना)/वित्तीय सलाहकार/ उपनिदेशक (देवनायण)/सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।
14. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त)
15. आदेश पत्रावली।

(प्रहलाद सहाय नागा)

अतिरिक्त निदेशक

(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

Signature valid

Digitally signed by Prhalad Gite

Designation: Director

Date: 2023.09.07 17:55:12 IST

Reason: Approved